FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) .... मुकाम ....

.... बालाराम .... बनाम .... रूपसिंह वगैरा ....

किस्म मुकदमा .... राजस्व आवेदन .... नं. .... 306 .... सन् .... 2019 ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/9/19	~~प्रार्थी~~/वादी/अपीलांट के वकील श्री .... कुम्भाराम चौधरी ने यह ~~प्रार्थना~~ पत्र/वाद/अपील धारा .... 111, 128 .... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~ /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक .... 21/10/19 .... को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	306 / 25/9/19
21/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 13/11/19 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:54:10 IST
Reason: SelfAttested

13/11/19

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त। बावजूद तामील विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेत सेम मेड आये हुए हैं। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के बिच जो पुरानी मेड व कच्चे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं जिस कारण खेतों को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य तनाजा बना रहता है। वर्षात होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के खातेदारी खेतों में काश्त कर लेते हैं जिस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की पक्की नेखमवन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेखमवन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमिशनर शुल्क रुपये 500/- जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली बमल शुमार हो दर्ज रजिस्टर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु 13.11.2019

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:54:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 /

दिनांकः– 13/11/2019

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. बालाराम पुत्र खेराजराम वगैरा जाति जाट निवासी खवालिया नाडा, बोड़वा तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. रूपसिंह पुत्र परवतसिंह वगैरा जाति राजपूत निवासी खवालिया नाडा, बोड़वा तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 306 / 2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा खवालिया नाडा पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 296 / 212, 299 / 212 रकबा 65.01, 17.00 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांकः– 13/11/2019

क्रमांक / वाद / 2019 / 942

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री बालाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री रूपसिंह वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:54:10 IST
Reason: SelfAttested